उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 03/2021

राज्य बनाम वाहन ट्रैक्टर संख्या–265-DI के स्वामी एवं अन्य (एक वाहन)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
05/02/2021	–:: आदेश ::–	

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के पत्र ज्ञापांक–2384/अप०शा० दिनांक–15.09.2020 द्वारा रजरप्पा थाना काण्ड संख्या–93/2020, दिनांक–21.07.2020, धारा–379 भा०द०वि० 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमण) अधिनियम–1957 के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर नं० (01) 265-DI (लाल रंग का), जिसका इंजन नं०–NGNB00567, चेचिस नं०–C05556238R3, (02) जॉन डीयर (हरे रंग का), जिसका इंजन नं०–PY3029D485016, चेचिस नं०– IVY5036DJJA005389, जिसमें लदा बालू को राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि, Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा–21 के तहत् प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि धारा–21 (4-A) में निम्न प्रावधान है "Any mineral, tool, equipment, vehicle or any other thing seized under sub-section (4), shall be liable to be confiscated by an order of the Court competent to take cognizance of the offence under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the directions of such Court."

उक्त परिप्रेक्ष्य में वाद के इस अवस्था में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ द्वारा Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा–21 (4-A) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। इसी आदेश/मन्तव्य के साथ वाद निस्तारित की जाती है। प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव मूल रूप में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को वापस करें। अभिलेख संचित करें।

110/विधि 05/02/2021

लेखापित एवं संशोधित।

05/02/21

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

05/02/21

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।